हरवीरसिंह V/s. राज० सरकार
प्रा०पत्र 86/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
6.7.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पुलिस थाना उद्योग नगर भरतपुर द्वारा एफ.आई.आर नं. 346/2021 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में जप्त किये वाहन टैंकर नम्बर UP-85/AT-4923 को सुपुर्दगी में दिया जावे। पुलिस थाना उद्योग नगर भरतपुर ने प्रकरण में अपनी केस डायरी भेज दी गई है। कथित प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 'ए' ई.सी. एक्ट पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 6 'ए' ई.सी. एक्ट प्रकरण के बिना प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण धारा 6ए ई.सी.एक्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश करने के लिये स्वतन्त्र है। प्रार्थना पत्र 6ए प्राप्त होने पर ही प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पर विचार किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।
	(हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)

पुलिसथाना सेवर की मूल पत्रावली सं० 346/21 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी. एक्ट, निर्णय की प्रति के साथ इस न्यायालय के पत्रांक 599 दि. 5/8/22 से भिजवाई गई।